सरयू राय
मंत्री
संसदीय कार्य–सह
खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार

कार्यालय :-
झारखण्ड मंत्रालय
प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची
आवास : एफ॰टाईप, पी॰डब्लू॰डी॰ (IB)
डोरण्डा, राँची
मो॰ : 9431114486

पत्रांक 405/मं०/खा० दिनांक 31.08.2015

मुख्य सचिव,
झारखंड सरकार।

विषय : पश्चिम सिंहभूम जिला अंतर्गत धारित लौह अयस्क एवं मैंगनीज खनन पटट्ों के अवधि विस्तार के संबंध में।

आपको स्मरण होगा कि उपर्युक्त विषय में कुछ दिन पूर्व मैंने एक पत्र आपको प्रेषित किया था। हाल के दिनों में इस बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों से पता चल रहा है कि राज्य सरकार उपर्युक्त विषयक लौह अयस्क खदानों के खनन पट्टों का अवधि विस्तार करने पर विचार कर रही है। इस संदर्भ में मैं आपका ध्यान निम्नांकित बिन्दुओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ।

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन में बरती गयी अनियमितताओं एवं इस संबंध में आपराधिक गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए कोयला घोटाला WP (Crl) No-120/2012, आदेशित दिनांक–25.08.2014, 2जी स्पेक्ट्रम मामले में मुकदमा संख्या 423/2010, दिनांक 02.02.2012 एवं राष्ट्रपति के पुनर्विचारार्थ मामला संख्या 1/2012, दिनांक 27.09.2012, को हुये आदेशों के तहत सरकार को निर्देश दिया गया था।
2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर वर्णित आदेशों को संज्ञान में लेते हुए भारत सरकार द्वारा खान एवं खनिज (विकास एंव विनियमन) अधिनियम 1957 के प्रावधानों में संशोधन कर प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन को पारदर्शी बनाया गया है।
3. संशोधित/अधिसूचित खान एवं खनिज (विकास एंव विनियमन) अधिनियम 1957 के नियम 8A के तहत पूर्व से धारित उन खनन पट्टों के लिए अवधि विस्तार का प्रावधान किया गया है, बशर्ते कि उन खनन पट्टाधारियों द्वारा उक्त नियम के अन्य प्रावधानों की अर्हताओं को पूरा करने के साथ ही खनन पट्टा की अन्य शर्तों को भी पूरा किया गया है।
4. राज्य के पश्चिम सिंहभूम के खनन पट्टाधारियों, जो कि Non-Captive श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, का खनन पट्टा अवधि विस्तार करने के संदर्भ में कानून के प्रावधानों की अर्हताओं की जांच करने हेतु खान एवं भूतत्व विभाग, झारखंड सरकार द्वारा समय–समय पर समितियों का गठन किया जाता रहा है। इनमें से उपायुक्त पश्चिम सिंहभूम की समिति, अपर निदेशक खान श्री भी.एन. बैठा की समिति एवं हाल में गठित श्री शंकर सिन्हा उपनिदेशक, खान, कोल्हान अंचल की समिति का उल्लेख करना प्रासंगिक है।

email : saryuroy@gmail.com/info@saryuroy.in/वेबसाईट -- www.saryuroy.in

इन तीनों समितियों द्वारा समर्पित प्रतिवेदनों में संबंधित पट्टाधारियों द्वारा खनन में बरती गयी अनियमितताओं का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इन सभी समितियों ने अपने प्रतिवेदनों में स्पष्ट अनुशंसा की है कि किसी भी (Non Captive) पट्टाधारी के लिए अवधि विस्तार की अनुशंसा नहीं की जा सकती है। कारण कि इन सभी प्रासंगिक प्रावधानों का घोर उल्लंघन किया है। सुलभ संदर्भ हेतु इन समितियों द्वारा समर्पित प्रतिवेदनों की प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न है।

5. इन समितियों द्वारा समर्पित प्रतिवेदनों के अवलोकन से स्पष्ट है कि संबंधित पट्टाधारियों द्वारा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 के नियम 4A(4) का तथा MC Rule 1960 के नियम 28(1) तथा 37 का घोर उल्लंघन किया जाता रहा है।

6. खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 के नियम 4A(4) एवं MC Rule नियम 28(1) में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी खनन पट्टा यदि दो वर्षों तक कार्यशील नहीं रहता है तो वह स्वतः व्ययगत (Lapsed) हो जाता है। इन पट्टाधारियों द्वारा, जिनके खनन पट्टों का अवधि विस्तार करने पर सरकार विचार कर रही है, उक्त सभी नियमों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है जैसा कि समितियों के संलग्न जांच प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित है।

7. MC Rule 1960 के नियम 37 के तहत किसी भी खनन पट्टाधारी को अपना पट्टा Mortgage, sub mortgage करने का अधिकार नहीं है। उक्त नियम का भी प्रायः सभी खनन पट्टाधारियों द्वारा उल्लंघन किया गया है जैसा कि इन समितियों के जांच प्रतिवेदनों में स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित है।

8. आपको मालूम है कि राज्य के लौह एवं मैंगनीज के इन पट्टाधारियों के पट्टों का अवधि विस्तार के लिए कुछ माह पूर्व विकास आयुक्त की अध्यक्षता में सरकार द्वारा एक समिति गठित की गई है। इस समिति की एक बैठक दिनांक 24.08.2015 को आहूत की गई थी, जिसमें पट्टाधारियों को अपना पक्ष रखने हेतु कहा गया था। कुछ खननकर्ताओं ने पट्टाधारियों का पक्ष रखने हेतु सर्वोच्च न्यायालय के एक विद्वान अधिवक्ता की सेवा ली थी, जबकि राज्य का पक्ष रखने के लिए सरकार की तरफ से कोई सक्षम अधिवक्ता जैसे कि महाधिवक्ता अथवा कोई स्टैंडिग काउंसिल प्रतिनियुक्त नहीं था।

आश्चर्य है कि उपायुक्त, पश्चिम सिंहभूम से लेकर विभाग के सभी वरीय तकनीकी पदाधिकारियों तथा समय–समय पर इस संदर्भ में छानबीन करने के लिए सरकार द्वारा गठित समितियों द्वारा ऐसे खनन पट्टों को अवधि विस्तार नहीं देने के स्पष्ट मंतव्य के बावजूद विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति किस आधार पर इन खनन पट्टाधारियों के पट्टों को अवधि विस्तार देने पर पुनः विचार किया जा रहा है। इससे जनमानस में यह धारणा पनप सकती है कि सरकार येन–केन प्रकारेण खनन पट्टों का अवधि विस्तार करने की हिमायती है।

9. इसके अतिरिक्त माननीय शाह आयोग एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित CEC के जांच प्रतिवेदनों में भी इन पट्टाधारियों द्वारा बरती गयी अनियमितताओं की संपुष्टि की गई है।

10. साथ ही वन एवं पर्यावरण अधिनियमों की प्रासंगिक शर्तों, विशेषकर स्टेज–2 क्लियरेंस का भी इन खनन पट्टाधारियों ने लगातार उल्लंघन किया है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो खनन पट्टाधारी पिछले दो दशक में स्टेज–2 क्लियरेंस की शर्तों को पूरा नहीं कर पाये वे अगले 4 वर्षों में कैसे इन्हें पूरा कर लेंगे तथा इन शर्तों को पूरा किये बगैर इन्हें खनन करने की इजाजत आखिर क्यों दी जायेगी ?

11. आपको संबोधित अपने पूर्व पत्र में मैंने भारत सरकार के उपक्रम "स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया" द्वारा वन एवं पर्यावरण की शर्तों का उल्लंघन कर किये जा रहे खनन का उल्लेख किया था। परन्तु इस पर किसी प्रकार की कारवाई की सूचना मुझे अब तक नहीं मिली है।

मुझे आवश्यक प्रतीत हो रहा है कि उपर वर्णित तथ्यों के आलोक में प्रासंगिक खनन पट्टों की अवधि विस्तार करने के पूर्व इस संदर्भ में गहराई से अध्ययन किया जाना आवश्यक है। आपको ठीक लगे तो इस विषय में विधि विभाग का परामर्श प्राप्त करना श्रेयस्कर होगा।

सधन्यवाद,

31.8.2015

सरयू राय